न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या: 03/2019

(2) दायरा दिनांक: 24.4.2019

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

कपूराराम पुत्र पुराराम, जाति- हीरागर, निवासी- झूपाघाट, सिरोही, पुलिस थाना सिरोही

''इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975''

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 21 मई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल कपूराराम पुत्र पूराराम, जाति- हीरागार, निवासी- झूपाघाट, सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खिलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसासयल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नही होते है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 16 प्रकरण दर्ज हुये है तथा इन 16 प्रकरणों में गैरसालय के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा व जुर्माने से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 4/2.1.2008, 200/18.9.2010, 7/5.1.2012, 169/8.10.2012 में सजा होने पर गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत इस्तगासा प्रेषित किया था जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2013 के द्वारा उक्त गैरसायल को 3 माह की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया गया था। उक्त गैरसायल द्वारा निरन्तर अपराध किया जाने से निष्कासत के बाद अपराध संख्या 112/08.5.2014, 89/18.3.2015, 210/14.7.2015 व 129/17.6.2016 अर्न्तगत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 के तहत दर्ज हये जिनमें गैरसायल को सजा होने पर गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस्तागसा प्रेषित किया था जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.3.2017 के द्वारा उक्त गैरसायल को एक माह की

...पेज दों पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अवधि के लिये निष्कासित किया गया था। उसके बाद भी गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 3 के तहत अपराध संख्या 45/13.3.2018, 189/22.9.2018 व 255/19.12.2018 को दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं इन तीनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.4.2018, 05.10.2018 व 24.12.2018 के द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने वे सजा से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है जो जुआं खेलने व जुआं खिलाने के लिये लोगों को प्रेरित करता है इससे आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है, निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस छवि पर भी लोगों में अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अत: गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.5.2019 को गैरसायल उपस्थित हुआ एवं गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना सिरोही में 16 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन सभी प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुऐं में गवा चुके है। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, गैरसायल के विरुद्ध पूर्व में भी इस न्यायालय में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस्तगासे प्रस्तुत किये थे जिनमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2013 के अनुसार गैरसायल को पुलिस थाना क्षेत्र सिरोही से 3 माह के लिये निष्कासित किया गया था व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.3.2017 के द्वारा गैरसायल को एक माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया था उसके बावजूद भी गैरसायल की अपराधिक गतिविधियां निरन्तर जारी है व गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को जिला सिरोही से छ: माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि गैरसायल ने उक्त सभी प्रकरणों में

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

ट्रायल से बचने के लिये संबंधित न्यायालय में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवनयापन कर रहा है, गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल से आमजन में भय व्याप्त नही है, इसलिये प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल कपूराराम पुत्र श्री पूराराम, जाति-हीरागर, निवासी- झूपाघाट, सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 16 प्रकरण दर्ज हुये। जिनमें से अपराध संख्या 45/13.3.2018, 189/22.9.2018 व 255/19.12.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत गैरसालय के विरुद्ध दर्ज उक्त तीनों प्रकरणों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये है। जिनके आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 45/13.3.2018, 189/22.9.2018 व 255/19.12.2018 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक कमशः 24.4.2018, 05.10.2018 व 24.12.2018 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल कपूराराम पुत्र पूराराम, जाति-हीरागर, निवासी-झूपाघाट, सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(मुकेश चौधरी)
अति.जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही